



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0) नियर ISBT, क्लेमनटाऊन, देहरादून
फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail-uttaranchalerc@rediffmail.com

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ(नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाष्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेष्णों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 पर सुझाव आमंत्रणं

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा प्रारूप उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाष्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेष्णों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 बनाया गया हैं प्रस्तावित विनियम का प्रारूप, आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किये गये हैं

2. अधिनियम की धारा 181 की सह-धारा (3) के अन्तर्गत प्रारूप विनियम पर सभी स्टेकहोल्डर अपने सुझाव/आपत्तियां, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.02.2013 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयः उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं
3. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगां